

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार उपखण्ड अधिकारी सागवाडा  
प्रकरण संख्या - /2018(राजस्व वाद)

दायर दिनांक- 24/11/18  
~~27.3.2018~~

निर्णय दिनांक - ~~27.3.2018~~  
24/11/18

अनवान

तहसीलदार

बनाम

कृषकगण

सागवाडा

गामडाबामणिया

## निर्णय

तहसीलदार सागवाडा की ओर से प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम गामडाबामणिया जमाबन्दी संवत् 2072-75 के खसरा नम्बर 2080 / 1,3743 / 2249, 3756 / 2,3943 / 2721,3945 / 2721,3946 / 3730,3949 / 3738,3957 / 3787,3958 / 3788,3959 / 3789,3960 / 3790,3961 / 3800,3962 / 3815,3964 / 3821,3965 / 3827,3966 / 3835 आवंटन / नियमन / बंटवारा के समय में जमाबन्दी व नक्शों में तीन डीजीट में नामान्तरकरण दर्ज किए गए हैं।

वक्त चौसाला जमाबन्दी बनाते समय कम्प्यूटर द्वारा दो डिजिट में ही खसरों का इन्द्राज लेने से हुई त्रुटियों को वर्तमान जमाबन्दी व नक्शों में दुरुस्त किए जाने का आदेश हेतु निवेदन किया गया है।

तहसीलदार सागवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद प्रकृति का होकर राज0भू0रा0 अधिनियम की धारा 136 की श्रेणी का होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार सागवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टि करते वांछित संशोधन के लिए अपनी स्वीकारोक्ति प्रदान की है। अतः तहसीलदार सागवाडा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वांछित संशोधन के आदेश दिए जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 24.2018 को सुनाया गया। आदेशानुसार तहसीलदार सागवाडा को पालनार्थ लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, नम्बर से कम हो।

( गोपाललाल स्वर्णकार )  
उपखण्ड अधिकारी  
सागवाडा